## फर्द अहकाम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी– बाबू खां प्रतिवादी– रमजान खां व अन्य

केस संख्या : 64/2017 निर्णय दिनांक: 14.07.2017

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | :–निर्णय:–<br>आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।<br>वकील वादी उप0। वकील प्रतिवादी उप0।<br>पक्षकारान को सुना गया।<br>वकील वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 39, 42, 220, 321, 361, 366, 511/832, 663, 712, 722, 764 कुल किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा ग्राम आजनोटा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। आराजीयात अविभाजित है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी आराजीयात को बिना तकासमा करवाये बेचान करने पर आमादा है इस कारण आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स तकासमा करवाया जावे।<br>प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की।<br>पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाबदावा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जवाबदावा के माध्यम से वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है, न्यायहित में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य तकासमा किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br>अत: वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 39, 42, 220, 321, 361, 366, 511/832, 663, 712, 722, 764 कुल किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा ग्राम आजनोटा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य मौका कब्जा अनुसार तकासमा किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरैजात दो–दो प्रतियो में तैयार कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.08.2017 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर<br>(सावन कुमार चायल)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>फागी | |

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

बाबू खां

बनाम

रमजान खां व अन्य

### ::– वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 64/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 39, 42, 220, 321, 361, 366, 511/832, 663, 712, 722, 764 कुल किता 11 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा ग्राम आजनोटा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य मौका कब्जा अनुसार तकासमा किया जाता है। तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो कि वह वादग्रस्त आराजी के निर्णयानुसार नक्शे कुरैजात तैयार कर दो–दो प्रतियो में भिजवाये।

निज....................मुबलिग....................................................बाबत..............................................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह....................................................फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/07/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.................. उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.................. फागी (जयपुर)

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | NIL | | फीस कमीश्नर | NIL | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
फागी